

कार्यालय

पत्रांक: २२५९ / न्याय सहायक / कोरोना वायरस / 2020

जिलाधिकारी

बुलन्दशहर।

दिनांक: 13 जून, 2020

मा0 जिला एवं सत्र न्यायाधीश,

बुलन्दशहर।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 21.05.2020 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके अन्तर्गत न्यायालय परिसर, बुलन्दशहर में न्यायिक कार्य प्रारम्भ होना अवगत कराते हुए, माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार नित्य प्रतिदिन 3.00 बजे कोविड-19 के श्रेट लेवल की आख्या उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।


उक्त के संबंध में सादर अवगत कराना है कि मा0 मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, गृह (गोपन) अनुभाग-3, लखनऊ के पत्र संख्या-1382/2020/सीएक्स-3 दिनांक 31.05.2020 के अनुसार जोन को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है:-

शहरी क्षेत्र:-

- (1) जहाँ शहरी क्षेत्र में सिंगल केस है वहाँ पर 250 मीटर के रेडियस में अथवा पूरा मौहल्ला, जो भी कम हो।
- (2) एक से ज्यादा केस होने पर, कलस्टर की स्थिति में, 500 मीटर के रेडियस में कन्टेनमेंट जोन होगा तथा उसके उपरान्त 250 मीटर में बफर जोन भी होगा।
- (3) आवासीय बहुमंजिला सोसायटियों के सम्बन्ध में कन्टेनमेंट-जोन घोषित करने हेतु निम्नानुसार नीति अपनाई जाएगी-
 - (i) ऐसे बहुमंजिला भवनों/टॉवर वाली सोसायटी में यदि एक ही फ्लोर पर एक या अधिक सक्रिय केस हो तो ऐसे टॉवर/बहुमंजिला भवन को कन्टेनमेंट-जोन घोषित किया जाएगा।
 - (ii) यदि एक सोसायटी में एक से अधिक टॉवरों में सक्रिय केस पाए जाते हैं तो ऐसी सोसायटी में सम्बन्धित टॉवरों तथा सार्वजनिक प्रयोग के स्थानों यथा पार्क, जिम, तरण-ताल, बैक्वेट-हॉल आदि को भी कन्टेनमेंट जोन में शामिल करते हुए तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाएगा जिससे कि संक्रमण का प्रसार अन्य व्यक्तियों में न होने पाए।
- (4) वाणिज्यिक/औद्योगिक/कार्यालय भवनों के परिसर में कन्टेनमेंट-जोन के सम्बन्ध में
 - (i) ऐसे स्थानों पर जहाँ सक्रिय केस/मरीज काम करता रहा हो ऐसे स्थानों को संक्रमण के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से सैनिटाइजेशन/निसंक्रमित करने हेतु 24 घंटों के लिए तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाएगा। कोविड-19 प्रोटोकॉल के दृष्टिगत सैनिटाइजेशन/निसंक्रमित करने के सम्बन्ध में होने वाले व्यय को ऐसे भवनों के अध्यासियों द्वारा वहन किया जाएगा।
 - (ii) ऐसे भवनों/परिसरों को पूर्णरूप से सैनिटाइज/निसंक्रमित करने के उपरान्त ही पुनः प्रयोग किया जाएगा।
- (5) सक्रिय केस यदि बहुमंजिला टॉवर/भवन में पाया जाए
 - (i) यदि एकल-तल (Single-Floor) पर सक्रिय केस पाया जाए तो ऐसा तल सील कर दिया जाएगा।
 - (ii) यदि एक से अधिक तलों पर सक्रिय केस पाए जाए तो सम्पूर्ण भवन/टॉवर को सील कर दिया जाएगा। ऐसे तलों (Floors)/भवनों को पुनः प्रयोग करने के सम्बन्ध में बिन्दु संख्या- 4(ii) के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

ग्रामीण क्षेत्र:-

- (1) जहाँ सिंगल केस है, वहाँ पर राजस्व ग्राम के सम्बन्धित मजरे की आबादी।
- (2) यदि गांव में एक से अधिक केस (कलस्टर) है तो ऐसी स्थिति में उक्त राजस्व ग्राम के सम्बन्धित मजरे की आबादी कन्टेनमेंट जोन होगा। इस गांव के इर्द-गिर्द पड़ने वाले दूसरे राजस्व ग्रामों के मजरे बफर जोन में आएंगे।



प्रभारी निरीक्षक, स्थानीय अभिसूचना इकाई, बुलन्दशहर द्वारा अपनी आख्या पत्रांक-एल.आई.यू./सी-34/2020 दिनांक 13.06.2020 में अवगत कराया गया है कि "विगत काफी समय से प्रदेश एवं देश में कोरोना संक्रमण के फैलने के कारण लॉकडाउन को कुछ शर्तों के साथ खोला गया है। विगत में देश के अन्य प्रान्तों महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा आदि से प्रवासी मजदूर आदि वापस आये थे, जिनमें से कुछ लोग विगत दिनों संक्रमित भी पाये गये थे।

यद्यपि जनपद में प्रशासन/पुलिस द्वारा लॉकडाउन के नियमों का पालन कराया जा रहा है, परन्तु कतिपय दुकानदारों तथा ग्राहकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न किये जाने के कारण संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है। "


महोदय को यह भी अवगत कराना है कि जनपद बुलन्दशहर में 44 हॉट स्पॉट चिन्हित कर सील किये गये हैं, जिनमें 03-आवास विकास प्रथम एवं मौ0 देवीपुरा-1, बुलन्दशहर एवं तुलसी मार्केट, कालाआम, बुलन्दशहर हॉटस्पॉट नगर बुलन्दशहर में बने हैं। इसके अतिरिक्त जनपद बुलन्दशहर में 41 हॉटस्पॉट-मौ0 पीरजादगान खुर्जा, कायस्थवाड़ा (गुरुद्वारे के सामने) सिकन्द्राबाद, खत्रीवाड़ा देवी मन्दिर के सामने, सिकन्द्राबाद, ग्राम सतोहा, वि0ख0 व तहसील डिबाई, ग्राम सरायघासी, वि0ख0 व तहसील सिकन्द्राबाद, मौ0 सरावगीवाड़ा, सिकन्द्राबाद, मौ0 काजीखेल डिबाई, मौ0 मदनभट्ट सिकन्द्राबाद, मौ0 पीली कोठी (निकट जेवर अड़डा चौक) खुर्जा, ग्राम मडावरा, वि0ख0 व तहसील सिकन्द्राबाद, ग्राम राशिदपुर, वि0ख0 लखावटी, तहसील सदर, मौ0 पुरानी सब्जी मण्डी, औरंगाबाद, ग्राम ततारपुर, वि0ख0 अगौता, तहसील सदर, ग्राम कीरतपुर, वि0ख0 पहासू, तहसील शिकारपुर, ग्राम दस्तूरा, वि0ख0 व तहसील खुर्जा, ग्राम दरियापुर वि0ख0 व तहसील बुलन्दशहर, मौ0 छांसियावाड़ा सिकन्द्राबाद, मौ0 पीरगान वि0ख0 गुलावटी तहसील सदर, मौ0 सर्राफा बाजार गुलावटी तहसील सदर, मौ0 टीचर्स कालौनी वार्ड सं0-21 सिकन्द्राबाद, ग्राम सलैमपुर, वि0ख0 व तहसील सिकन्द्राबाद, सलैमपुर रोड (डॉ0 कालीचरन के क्लीनिक के पास), सिकन्द्राबाद, मौ0 तेलियान, नगर पंचायत ककोड़, मौ0 बाजार कलों, डिबाई, मौ0 सैनीवाला, ग्राम अमरपुर वि0ख0 ऊँचा गांव, तहसील स्याना, ग्राम खडूपुरा, वि0ख0 व तहसील खुर्जा, मौ0 होली ब्रहमनान खुर्जा, माजरा नगला कोठी, ग्राम बोरोली, वि0ख0 व तहसील खुर्जा, मौ0 शिवाजी नगर सिकन्द्राबाद, ग्राम गंगावास, वि0ख0 पहासू, तहसील शिकारपुर, मौ0 हंसिया गंज, डिबाई, ग्राम गोविन्दपुर, वि0ख0 व तहसील डिबाई, एस0डी0एम0 कालौनी, सिकन्द्राबाद, मौ0 बस स्टैण्ड, वि0ख0 दानपुर तहसील डिबाई, ग्राम ऐमनपुर, वि0ख0 व तहसील बुलन्दशहर, ग्राम ताजपुर, वि0ख0 व तहसील बुलन्दशहर, ग्राम सुनहेरा, वि0ख0 व तहसील बुलन्दशहर, ग्राम खनौदा, वि0ख0 लखावटी, तहसील बुलन्दशहर, मौ0 आहनग्रान, जहांगीराबाद तहसील अनूपशहर, ग्राम मुरादाबाद, वि0ख0 व तहसील सिकन्द्राबाद, सराय शेख आलम, वार्ड नं0-14, खुर्जा बने हैं, जिनमें पाये गये पॉजिटिव व्यक्तियों की संख्या संलग्न कर सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

आज दिनांक 13.06.2020 तक जनपद में कोरोना पॉजिटिव की संख्या-318 है, 652 व्यक्ति होम क्वारेन्टाईन में हैं। जनपद में 11 कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है।

महोदय यहाँ यह भी अवगत कराना है कि प्रवासी मजदूरों के कारण संक्रमण न फैले, इस हेतु आवश्यक सेवाओं को छोड़कर शेष बाजार बन्द करने के निर्देश है। उपरोक्त स्थितियों में यदि वादकारियों के रूप से बाहर से आये प्रवासी मजदूरों में काफी लोग न्यायालय में पहुँचेंगे, जिससे माननीय न्यायिक अधिकारीगण, कर्मचारीगण एवं अधिवक्तागण में संक्रमण होने की सम्भावना बढ़ सकती है।

आख्या महोदय की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित है।

संलग्नक: यथोक्त


अपर जिलाधिकारी-प्रशासन,
बुलन्दशहर।

प्रतिलिपि:- जिलाधिकारी महोदय की सेवा में सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।

अपर जिलाधिकारी-प्रशासन,
बुलन्दशहर।

गोपनीय

पत्रांक-एल.आई.यू./सी-34/2020

स्थानीय अभिसूचना इकाई

बुलन्दशहर

दिनांक-जून 13, 2020

सेवा में,

अपर जिलाधिकारी(प्रशासन)

जनपद बुलन्दशहर ।

कृपया अवगत कराना है कि विगत काफी समय से प्रदेश एवं देश में कोरोना संक्रमण के फैलने के कारण लॉकडाउन को कुछ शर्तों के साथ खोला गया है। विगत में देश के अन्य प्रान्तों महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, हरियाणा आदि से प्रवासी मजदूर आदि वापस आये थे, जिनमें से कुछ लोग विगत दिनों संक्रमित भी पाये गये थे।

यद्यपि जनपद में प्रशासन/पुलिस द्वारा लॉकडाउन के नियमों का पालन कराया जा रहा है। परन्तु कतिपय दुकानदारों तथा ग्राहकों के द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग तथा नियमों का पालन न किये जाने के कारण संक्रमण फैलने का खतरा बना रहता है।

अतः उक्त के दृष्टिगत लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन कराने व अनावश्यक दुकानों पर भीड़ एकत्रित न करने हेतु समझाया जाना तथा समुचित सतर्कता/पुलिस प्रबन्ध सहित आवश्यक कार्यवाही किया जाना समीचीन होगा।

K 13/6/2020

पुलिस उपाधीक्षक/प्रभारी
स्थानीय अभिसूचना इकाई
बुलन्दशहर

प्राकृतिक-01 कोरोना (कोविड-19) के हॉटस्पॉट की सूचना जनपद बुलन्दाशहर। दिनांक 13.06.2020 समय 07.00 बजे।

क्र० सं०	हॉटस्पॉट एरिया का नाम	थाना	मजिस्ट्रेट / राजपथित पुलिस अधिकारी का नाम व पदनाम	हॉटस्पॉट एरिया में कुल मकानों की संख्या	हॉटस्पॉट एरिया की जनसंख्या या (अनुमानित)	फायर टेंडर से सेनिटाइजर का डिस्कवाव किया गया अथवा नहीं	कोरोना पॉजिटिव की संख्या	कोरोना संक्रमितों की संख्या			Institutional Quarantine यंत्रियों की संख्या	शैरकेंद्रों की गयीं या शैरकेंद्रों को गये स्थानों की संख्या
								पॉजिटिव	निगेटिव	रिपोर्टेड		
1	मौ० पीरजादागान, मौ० चौहट्टा करवा खुर्जा नगर	खुर्जा नगर	श्रीमती ईशा प्रिया जो० मजि० (एसडीएम) खुर्जा। श्री सुरेश कुमार क्षेत्राधिकारी खुर्जा।	19222	95512	फायर टेंडर से सेनिटाइजर/डिस्कवाव किया गया है।	7	106	1	70	11	
2	कायस्थवाडा (गुहटारे के सामने), मौ० रामबाडा शैवाडा सि०बाद	सिकन्दराबाद	श्री चरिशंकर (उप-जिला मजिस्ट्रेट)/ श्री गोपाल चौधरी सा०मु०अ०/सीओ सि०बाद	1774	7978	फायर टेंडर से सेनिटाइजर/डिस्कवाव किया गया है।	4	17	1	6	2	
3	मौ० टखीवाडा देवी मन्दिर के सामने, सिकन्दराबाद	सिकन्दराबाद	श्री चरिशंकर (उप-जिला मजिस्ट्रेट)/ श्री गोपाल चौधरी सा०मु०अ०/सीओ सि०बाद	2412	10313	फायर टेंडर से सेनिटाइजर/डिस्कवाव किया गया है।	1	17	13	17	2	
4	मौ० सरायवासी सिकन्दराबाद।	सिकन्दराबाद	श्री चरिशंकर (उप-जिला मजिस्ट्रेट)/ श्री गोपाल चौधरी सा०मु०अ०/सीओ सि०बाद	737	3406	फायर टेंडर से सेनिटाइजर/डिस्कवाव किया गया है।	1	25	25	25	5	
5	ग्राम सगोल डिबाई	डिबाई	श्री राजय कुमार उप-जिला मजिस्ट्रेट डिबाई। श्री विक्रम सिंह क्षेत्राधिकारी डिबाई।	775	4088	फायर टेंडर से सेनिटाइजर/डिस्कवाव किया गया है।	1	29	29	19	2	
6	अनास विवास-1 कोतवाली नगर	को०नगर	श्री अनय कुमार मिश्र (नगर मजिस्ट्रेट)/ श्री राघवेंद्र कुमार मिश्र क्षेत्राधिकारी नगर	1725	6756	फायर टेंडर से सेनिटाइजर/डिस्कवाव किया गया है।	41	71	8	8	2	
7	मौ० सारनगीवाडा करवा सिकन्दराबाद।	सिकन्दराबाद	श्री चरिशंकर (उप-जिला मजिस्ट्रेट)/ श्री गोपाल चौधरी सा०मु०अ०/सीओ सि०बाद	1474	6946	फायर टेंडर से सेनिटाइजर/डिस्कवाव किया गया है।	4	29	1	5	2	
8	मौ० काली सेल डिबाई	डिबाई	श्री राजय कुमार उप-जिला मजिस्ट्रेट डिबाई। श्री विक्रम सिंह क्षेत्राधिकारी डिबाई।	465	2213	फायर टेंडर से सेनिटाइजर/डिस्कवाव किया गया है।	6	4	1	5	2	
9	मौ० देवीपुरा प्रथम बुधशहर।	को०नगर	श्री अनय कुमार मिश्र (नगर मजिस्ट्रेट)/ श्री राघवेंद्र कुमार मिश्र क्षेत्राधिकारी नगर	1443	5971	फायर टेंडर से सेनिटाइजर/डिस्कवाव किया गया है।	1	28	28	28	1	
10	मौ० मदनगढ़, सिकन्दराबाद।	सिकन्दराबाद	श्री चरिशंकर (उप-जिला मजिस्ट्रेट)/ श्री गोपाल चौधरी सा०मु०अ०/सीओ सि०बाद	1005	7319	फायर टेंडर से सेनिटाइजर/डिस्कवाव किया गया है।	1	10	10	10	1	
11	मौ० पीसी कोठी (निकट जेवर अड्डा चौक) खुर्जा नगर।	खुर्जा नगर	श्रीमती ईशा प्रिया जो० मजि० (एसडीएम) खुर्जा। श्री सुरेश कुमार क्षेत्राधिकारी खुर्जा।	187	984	फायर टेंडर से सेनिटाइजर/डिस्कवाव किया गया है।	1	1	1	1	1	
12	ग्राम मण्डावरा, सिकन्दराबाद।	सिकन्दराबाद	श्री चरिशंकर (उप-जिला मजिस्ट्रेट)/ श्री गोपाल चौधरी सा०मु०अ०/सीओ सि०बाद	698	3115	फायर टेंडर से सेनिटाइजर/डिस्कवाव किया गया है।	1	1	1	1	1	

क्र.सं.	ईंटरनेट परिया का नाम	थाना	भारिस्ट/पालयारिग पुलिस अशिकारी का नाम व पदनाम	ईंटरनेट परिया में कुल मकानों की संख्या	ईंटरनेट परिया की जनसंख्या या (अनुमानित)	कायर टेण्डर से सेनिटाइजर का डिडकाव किया गया अथवा नहीं	कोरोना पॉजिटिव की संख्या	कोरोना सारियों की डेरिंग			Institutional Quarantine व्यक्तियों की संख्या	शेरिकेटिंग की गयी या शेरिकेटिंग किये गये स्थानों की संख्या
								पॉजिटिव	निगेटिव	रिपोर्ट शैडिंग		
26	श्री 00 लीजियन ककोड।	सिकन्दारबाद	श्री रविशंकर (उप-जिला भारिस्ट/ श्री गोपाल चौधरी स090350/ श्री00 सि0बाद	690	2829	कायर टेण्डर से सेनिटाइजर/ डिडकाव करया गया है	4		10		10	1
27	श्री 00 बजार कला, डिबाई	डिबाई	श्री संजय कुमार उप-जिला भारिस्ट डिबाई। श्री विजय सिंह क्षेत्रधिकारी डिबाई।	249	2424	कायर टेण्डर से सेनिटाइजर/ डिडकाव करया गया है	2		14		2	3
28	श्री 00 हेली बरमान पदम गेट।	सुर्जा नगर	श्रीमती ईशा शिवा जो0 मजि0 (एसडीएम) सुर्जा। श्री सुरेश कुमार क्षेत्रधिकारी सुर्जा।	432	1903	कायर टेण्डर से सेनिटाइजर/ डिडकाव करया गया है	2					5
29	श्री 00 अमरपुर छात्रपुर।	छात्रपुर	श्री सुभास सिंह उपजिलाधिकारी स्थाना श्री मनीष यादव, क्षेत्रधिकारी स्थाना	805	4826	कायर टेण्डर से सेनिटाइजर/ डिडकाव करया गया है	5		38		10	4
30	श्री 00 मंगला पूर्वी सुर्जा नगर।	सुर्जा नगर	श्रीमती ईशा शिवा जो0 मजि0 (एसडीएम) सुर्जा। श्री सुरेश कुमार क्षेत्रधिकारी सुर्जा।	219	910	कायर टेण्डर से सेनिटाइजर/ डिडकाव करया गया है	1		32		32	2
31	श्री 00 शान चक्रवर्त, ककोड।	ककोड	श्री रविशंकर (उप-जिला भारिस्ट/ श्री गोपाल चौधरी स090350/ श्री00 सि0बाद	438	1930	कायर टेण्डर से सेनिटाइजर/ डिडकाव करया गया है	1		15		15	1
32	श्री 00 सिवाली नगर सिकन्दारबाद।	सिकन्दारबाद	श्री रविशंकर (उप-जिला भारिस्ट/ श्री गोपाल चौधरी स090350/ श्री00 सि0बाद	110	629	कायर टेण्डर से सेनिटाइजर/ डिडकाव करया गया है	2		3		3	1
33	श्री 00 शान मंगलापार अहमदाबाद।	अहमदाबाद	श्री वेद शिव आर्य उपजिलाधिकारी सि0पुर। श्री गोपाल सिंह क्षेत्रधिकारी सि0पुर।	697	2365	कायर टेण्डर से सेनिटाइजर/ डिडकाव करया गया है	1		14		14	6
34	श्री 00 शान मीरिनपुर डिबाई	डिबाई	श्री संजय कुमार उप-जिला भारिस्ट डिबाई। श्री विजय सिंह क्षेत्रधिकारी डिबाई।	182	2712	कायर टेण्डर से सेनिटाइजर/ डिडकाव करया गया है	1		10		10	9
35	श्री 00 हरीशंकर, डिबाई	डिबाई	श्री संजय कुमार उप-जिला भारिस्ट डिबाई। श्री विजय सिंह क्षेत्रधिकारी डिबाई।	196	2900	कायर टेण्डर से सेनिटाइजर/ डिडकाव करया गया है	1		10		10	4
36	श्री 00 एर0के0एम0 अरलीनी सिकन्दारबाद।	सिकन्दारबाद	श्री रविशंकर (उप-जिला भारिस्ट/ श्री गोपाल चौधरी स090350/ श्री00 सि0बाद	695	2705	कायर टेण्डर से सेनिटाइजर/ डिडकाव करया गया है	1					1
37	श्री 00 अहमदान जलगीरबाद।	जलगीरबाद	श्री पदम सिंह (उप-जिला भारिस्ट) श्री अतुल चौधरी क्षेत्रधिकारी अमरपुराहर	183	464	कायर टेण्डर से सेनिटाइजर/ डिडकाव करया गया है	1					
38	श्री 00 शान रमनापुर कोंडेशल।	कोंडेशल	श्री अमर कुमार मिश्र (नगर भारिस्ट/ श्री रावडेन्द कुमार मिश्र क्षेत्रधिकारी नगर	229	1240	कायर टेण्डर से सेनिटाइजर/ डिडकाव करया गया है	1		5		5	

क्र० सं०	हॉटस्पॉट एरिया का नाम	थाना	मजिस्ट्रेट / राजपत्रित पुलिस अधिकारी का नाम व पदनाम	हॉटस्पॉट एरिया में कुल मकानों की संख्या	हॉटस्पॉट एरिया की जनसंख्या या (अनुमानित)	फायर टेंपडर से सेनिटाइजर का डिस्कवाव किया गया अथवा नहीं	कोसेना पाशिदिव की संख्या	कोसेना सदस्यों की देखरेख			Institutional Quarantine यात्रियों की संख्या	शेरिकेटिंग की गयी या नहीं / शेरिकेटिंग किये गये स्थानों की संख्या
								रिपोर्ट	रिपोर्ट	रिपोर्ट		
39	ग्राम युनहैरा को०देहात	को०देहात	श्री अभय कुमार मिश्र (नगर मजिस्ट्रेट) / श्री राघवेंद्र कुमार मिश्र क्षेत्राधिकारी नगर	342	1647	फायर टेंपडर से सेनिटाइजर / डिस्कवाव कराया गया है	1			4	4	
40	ग्राम ताजपुर, को०देहात	को०देहात	श्री अभय कुमार मिश्र (नगर मजिस्ट्रेट) / श्री राघवेंद्र कुमार मिश्र क्षेत्राधिकारी नगर	560	3638	फायर टेंपडर से सेनिटाइजर / डिस्कवाव कराया गया है	1			9	9	
41	ग्राम खनौदा, ओ०बाद।	ओ०रागाबाद	श्री उमय कुमार मिश्र (नगर मजिस्ट्रेट) / श्री राघवेंद्र कुमार मिश्र क्षेत्राधिकारी नगर	401	1841	फायर टेंपडर से सेनिटाइजर / डिस्कवाव कराया गया है	1			5	5	
42	ग्राम मुसदाबाद, सिकन्दराबाद।	सिकन्दराबाद	श्री रविशंकर (उप-जिला मजिस्ट्रेट) / श्री गोपाल चौधरी सा०पु०आ० / सीआ सिक०बाद	320	1540	फायर टेंपडर से सेनिटाइजर / डिस्कवाव कराया गया है	2					
43	मौ० बस स्टैण्ड, दानपुर डिबाई।	डिबाई	श्री संजय कुमार उप-जिला मजिस्ट्रेट डिबाई। श्री विक्रम सिंह क्षेत्राधिकारी डिबाई।	1527	6042	फायर टेंपडर से सेनिटाइजर / डिस्कवाव कराया गया है	1					
44	मौ० शेख सराय, खुर्जा नगर।	खुर्जा नगर	श्रीमती ईशा प्रिया जो० मजि० (एसडीएम) खुर्जा। श्री सुरेश कुमार क्षेत्राधिकारी खुर्जा।	798	3228	फायर टेंपडर से सेनिटाइजर / डिस्कवाव कराया गया है	1					
विवरण												
							15					

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
जनपद बुलन्दशहर।

जिलाधिकारी
जनपद बुलन्दशहर।

प्रारूप-02 कोरोना (कोविड-19) के हॉटस्पॉट की सूचनों जनपद बुलन्दशहर। दिनांक 13.06.2020 समय 07.00 बजे।

क्र.सं.	हॉटस्पॉट एरिया का नाम	आवश्यक परसुओं की आपूर्ति जोर-दू-जोर किये जाने की व्यवस्था			मोबाइल वैकिल पर व्यक्ति विस्तारक यंत्रों के प्रयोग से आवश्यक सूचनाओं का प्रसार-प्रसार/किराने वाहन लगाये गये	गाड़ियों के चालान की संख्या	जल गाड़ियों की संख्या	धारा 188 के अन्तर्गत व्यवस्था की संख्या
		दूध	राशन	फल/सब्जी				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	मौ० पीरजादगान, मौ० चौहट्टा करवा खुर्जा नगर	दूध व्यवस्था की जा रही है।	राशन की व्यवस्था की जा रही है।	फल/सब्जी की व्यवस्था की जा रही है।	01 वाहन	-	-	-
2	कायस्थवाडा (गुरद्वारे के सामने), रामवाडा, शैधवाडा सि०वाड	दूध व्यवस्था की जा रही है।	राशन की व्यवस्था की जा रही है।	फल/सब्जी की व्यवस्था की जा रही है।	01 वाहन	-	-	-
3	मौ० खत्रीवाडा देवी मन्दिर के सामने, सिकन्दराबाद।	दूध व्यवस्था की जा रही है।	राशन की व्यवस्था की जा रही है।	फल/सब्जी की व्यवस्था की जा रही है।	01 वाहन	-	-	-
4	मौ० सरायवासी, सिकन्दराबाद।	दूध व्यवस्था की जा रही है।	राशन की व्यवस्था की जा रही है।	फल/सब्जी की व्यवस्था की जा रही है।	01 वाहन	-	-	-
5	ग्राम सतोहा, डिवाई।	दूध व्यवस्था की जा रही है।	राशन की व्यवस्था की जा रही है।	फल/सब्जी की व्यवस्था की जा रही है।	01 वाहन	-	-	-
6	आवास विकास-1 कोतवासी नगर	दूध व्यवस्था की जा रही है।	राशन की व्यवस्था की जा रही है।	फल/सब्जी की व्यवस्था की जा रही है।	01 वाहन	-	-	-
7	मौ० सरायगीवाडा करवा सिकन्दराबाद।	दूध व्यवस्था की जा रही है।	राशन की व्यवस्था की जा रही है।	फल/सब्जी की व्यवस्था की जा रही है।	01 वाहन	-	-	-
8	मौ० कान्जी खेत डिवाई	दूध व्यवस्था की जा रही है।	राशन की व्यवस्था की जा रही है।	फल/सब्जी की व्यवस्था की जा रही है।	01 वाहन	-	-	-
9	मौ० देवीपुरा प्रथम, बु०शहर।	दूध व्यवस्था की जा रही है।	राशन की व्यवस्था की जा रही है।	फल/सब्जी की व्यवस्था की जा रही है।	01 वाहन	-	-	-
10	मौ० मदनमट्ट, सिकन्दराबाद।	दूध व्यवस्था की जा रही है।	राशन की व्यवस्था की जा रही है।	फल/सब्जी की व्यवस्था की जा रही है।	01 वाहन	-	-	-
11	मौ० पीली कोठी निकट जेवर अड्डा चौक) खुर्जा नगर।	दूध व्यवस्था की जा रही है।	राशन की व्यवस्था की जा रही है।	फल/सब्जी की व्यवस्था की जा रही है।	01 वाहन	-	-	-
12	ग्राम मण्डावा, सिकन्दराबाद।	दूध व्यवस्था की जा रही है।	राशन की व्यवस्था की जा रही है।	फल/सब्जी की व्यवस्था की जा रही है।	01 वाहन	-	-	-

क्र.सं.	ईटस्पोट एरिया का नाम	आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति डोर-टू-डोर किये जाने की व्यवस्था			मोबाइल बेहिकल पर व्यक्ति विस्तारक यंत्रों के प्रयोग से आवश्यक सूचनाओं का प्रसार-प्रसार/कितने वाहन लगाये गये	गाड़ियों के चालान की संख्या	जन्त गाड़ियों की संख्या	धारा 188 के अन्तर्गत आवश्यकता पड़ने पर की संख्या
		दूध	राशन	फल/सब्जी				
26	मौ० तेलियान ककोड।	दूध व्यवस्था की जा रही है।	राशन की व्यवस्था की जा रही है।	फल/सब्जी की व्यवस्था की जा रही है।	01 वाहन	-	-	-
27	मौ० बाजार कला, डिबाई	दूध व्यवस्था की जा रही है।	राशन की व्यवस्था की जा रही है।	फल/सब्जी की व्यवस्था की जा रही है।	01 वाहन	-	-	-
28	मौ० होली बाहन, परम नेट।	दूध व्यवस्था की जा रही है।	राशन की व्यवस्था की जा रही है।	फल/सब्जी की व्यवस्था की जा रही है।	01 वाहन	-	-	-
29	ग्राम अमरपुर खानपुर।	दूध व्यवस्था की जा रही है।	राशन की व्यवस्था की जा रही है।	फल/सब्जी की व्यवस्था की जा रही है।	01 वाहन	-	-	-
30	नंगला पूटी, चुर्जा नगर।	दूध व्यवस्था की जा रही है।	राशन की व्यवस्था की जा रही है।	फल/सब्जी की व्यवस्था की जा रही है।	01 वाहन	-	-	-
31	ग्राम खड्डपुरा, ककोड।	दूध व्यवस्था की जा रही है।	राशन की व्यवस्था की जा रही है।	फल/सब्जी की व्यवस्था की जा रही है।	01 वाहन	-	-	-
32	शिवाजी नगर सिकन्दराबाद।	दूध व्यवस्था की जा रही है।	राशन की व्यवस्था की जा रही है।	फल/सब्जी की व्यवस्था की जा रही है।	01 वाहन	-	-	-
33	ग्राम गंगाबास, अहननगर।	दूध व्यवस्था की जा रही है।	राशन की व्यवस्था की जा रही है।	फल/सब्जी की व्यवस्था की जा रही है।	01 वाहन	-	-	-
34	ग्राम गोविन्दपुर, डिबाई	दूध व्यवस्था की जा रही है।	राशन की व्यवस्था की जा रही है।	फल/सब्जी की व्यवस्था की जा रही है।	01 वाहन	-	-	-
35	मौ० हरसियागंज, डिबाई	दूध व्यवस्था की जा रही है।	राशन की व्यवस्था की जा रही है।	फल/सब्जी की व्यवस्था की जा रही है।	01 वाहन	-	-	-
36	एस०डी०एम० कार्तोनी सिकन्दराबाद।	दूध व्यवस्था की जा रही है।	राशन की व्यवस्था की जा रही है।	फल/सब्जी की व्यवस्था की जा रही है।	01 वाहन	-	-	-
37	मौ० आहनग्राम जहांगीरबाद।	दूध व्यवस्था की जा रही है।	राशन की व्यवस्था की जा रही है।	फल/सब्जी की व्यवस्था की जा रही है।	01 वाहन	-	-	-
38	ग्राम ऐमनपुर, कोंदेहात।	दूध व्यवस्था की जा रही है।	राशन की व्यवस्था की जा रही है।	फल/सब्जी की व्यवस्था की जा रही है।	01 वाहन	-	-	-

क्र.सं सं०	हैंटरवोट एरिया का नाम	आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति क्षेत्र-दू-क्षेत्र किये जाने की व्यवस्था			मोबाइल थैटिकल पर व्यक्ति विस्तारक यंत्रों के प्रयोग से आवश्यक सूचनाओं का प्रसार-प्रसार/कितने गाहन तगये गये	गाहियों के मालान की संख्या	जन्म गाहियों की संख्या	धारा 188 के अन्तर्गत 155/156/157 वर की संख्या
		दूध	राशन	फल/सब्जी				
39	ग्राम सुनहैरा कोठेहाल	दूध व्यवस्था की जा रही है।	राशन की व्यवस्था की जा रही है	फल/सब्जी की व्यवस्था की जा रही है।	01 गाहन	-	-	-
40	ग्राम ताजपुर, कोठेहाल	दूध व्यवस्था की जा रही है।	राशन की व्यवस्था की जा रही है	फल/सब्जी की व्यवस्था की जा रही है।	01 गाहन	-	-	-
41	ग्राम खनौदा, ओबादा।	दूध व्यवस्था की जा रही है।	राशन की व्यवस्था की जा रही है	फल/सब्जी की व्यवस्था की जा रही है।	01 गाहन	-	-	-
42	ग्राम मुरादाबाद, सिकन्दराबाद।	दूध व्यवस्था की जा रही है।	राशन की व्यवस्था की जा रही है	फल/सब्जी की व्यवस्था की जा रही है।	01 गाहन	-	-	-
43	मौ० बस स्टैंड, दानपुर डिबार्ड।	दूध व्यवस्था की जा रही है।	राशन की व्यवस्था की जा रही है	फल/सब्जी की व्यवस्था की जा रही है।	01 गाहन	-	-	-
44	मौ० शेख सराय, खुर्जा नगर।	दूध व्यवस्था की जा रही है।	राशन की व्यवस्था की जा रही है	फल/सब्जी की व्यवस्था की जा रही है।	01 गाहन	-	-	-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक
जनपद बुलन्दशहर।

जिलाधिकारी
जनपद बुलन्दशहर।

आदेश

उत्तर प्रदेश शासन राजस्व अनुभाग-11 के शासनादेश संख्या-195/एक-11-2020/रा0-11 दिनांक 24 मार्च 2020 के द्वारा भारत सरकार के आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 सपठित उत्तर प्रदेश आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा-2 उपधारा(जी) के अन्तर्गत कोविड-19 के कारण फैल रही महामारी को "आपदा" घोषित किया गया है। मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के आदेश संख्या 255/पी0एस0एम0एस0/2020 दिनांक 08-04-2020, 264/2020/सीएक्स-3 दिनांक 16 अप्रैल 2020 एवं 381/2020/सीएक्स-3 दिनांक 03 मई 2020 के अन्तर्गत जनपद बुलन्दशहर में लॉकडाउन व्यवस्था को पूरी तरह सुदृढ करते हुए प्रभावित क्षेत्रों को पूरी तरह सील कर दिये जाने के आदेश प्रदान किये गये थे। वर्तमान में मा0मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन द्वारा पत्रांक 1382/2020/सीएक्स-3 दिनांक 31-05-2020 के द्वारा अपने पूर्व पत्र दिनांक 18 मई 2020 में यथासंशोधन करते हुए लॉकडाउन दिनांक 30-06-2020 तक जारी रखने के विस्तृत निर्देश दिये गये है।

उत्तर प्रदेश शासन, चिकित्सा अनुभाग-5 लखनऊ द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या 548/पाँच-5-2020 दिनांक 14 मार्च, 2020 द्वारा महामारी अधिनियम 1897 (अधिनियम संख्या-3 सन् 1897) की धारा-2 के अधीन उत्तर प्रदेश महामारी कोविड विनियमावली 2020 के प्रस्तर-12 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं रविन्द्र कुमार, जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर कोरोना वायरस से पीड़ित/संकमित मामलों के दृष्टिगोचर होने के परिणामस्वरूप तत्काल प्रभाव से कोविड-19 के फैलाव को रोकने एवं बचाव किये जाने के उद्देश्य से जनपद बुलन्दशहर के निम्नांकित कम सं0 44 पर अंकित क्षेत्रों/कन्टेनमेन्ट जोन को निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार दिनांक 12 जून, 2020 की रात्रि 09:00 बजे से अग्रिम आदेशों तक अस्थायी रूप से सील किये जाने का आदेश देता हूँ। अन्य कन्टेनमेन्ट जोन सम्मुख अंकित दिनांक से पूर्व में ही सील किये जा चुके हैं:-

क्र0सं0	कन्टेनमेंट जोन का नाम	घोषित दि0	थाना क्षेत्र
1	मौ0पीरजादगान, खुर्जा		
2	कायस्थवाडा (गुरुद्वारे के सामने), सिकन्द्राबाद	07-05-2020	को0 नगर खुर्जा
3	खत्रीवाडा देवी मन्दिर के सामने, सिकन्द्राबाद	20-05-2020	सिकन्द्राबाद
4	ग्राम सतोहा, वि0ख0 व तहसील डिबाई	23-05-2020	सिकन्द्राबाद
5	ग्राम सरायघासी, वि0ख0 व तहसील सिकन्द्राबाद	24-05-2020	डिबाई
6	आवास विकास प्रथम बुलन्दशहर	24-05-2020	सिकन्द्राबाद
7	मौ0 सरावगीवाडा, सिकन्द्राबाद	26-05-2020	कोतवाली नगर
8	मौ0 काजीखेल, डिबाई	28-05-2020	सिकन्द्राबाद
9	मौ0 मदनभट्ट, सिकन्द्राबाद	29-05-2020	डिबाई
10	मौ0 पीली कोठी (निकट जेवर अड्डा चौक) खुर्जा	30-05-2020	सिकन्द्राबाद
11	मौ0 देवीपुरा-1, बुलन्दशहर	30-05-2020	खुर्जा
12	ग्राम मंडावरा, वि0ख0 व तहसील सिकन्द्राबाद	30-05-2020	को0नगर, बु0शहर (चौकी डिप्टी गंज)
13	ग्राम राशिदपुर वि0ख0 लखावटी तहसील सदर	31-05-2020	सिकन्द्राबाद
14	मौ0 पुरानी सब्जी मण्डी, औरंगाबाद	01-06-2020	सलैमपुर
15	ग्राम ततारपुर वि0ख0 अगौता तहसील सदर	01-06-2020	औरंगाबाद
16	ग्राम कीरतपुर वि0ख0 पहासू तहसील शिकारपुर	02-06-2020	को0नगर, बु0शहर
17	ग्राम दस्तूरा वि0ख0 व तहसील खुर्जा	03-06-2020	छतारी
18	ग्राम दरियापुर वि0ख0 व तहसील बुलन्दशहर	03-06-2020	ककोड़
19	मौ0छासियावाडा, सिकन्द्राबाद	04-06-2020	को0देहात बु0शहर
20	मौ0पीरगान, वि0ख0 गुलावटी तहसील सदर, बुलन्दशहर	04-06-2020	सिकन्द्राबाद
21	मौ0 सर्राफा बाजार, गुलावटी तहसील सदर, बुलन्दशहर	05-06-2020	गुलावटी
22	मौ0 टीचर्स कालोनी, वार्ड सं0-21, सिकन्द्राबाद	05-06-2020	गुलावटी
23	तुलसी मार्केट, कालाआम बुलन्दशहर	06-06-2020	सिकन्द्राबाद
24	ग्राम सलैमपुर, वि0ख0 व तहसील सिकन्द्राबाद	06-06-2020	को0नगर बुलन्दशहर
25	सलैमपुर रोड (डॉ0 कालीचरन के क्लीनिक के पास) सिकन्द्राबाद	07-06-2020	सिकन्द्राबाद
26	मौ0 तेलियान, नगर पंचायत ककोड़	07-06-2020	सिकन्द्राबाद
27	मौ0 बाजार कलों, डिबाई	07-06-2020	ककोड़
28	मौ0 सैनीवाला, ग्राम अमरपुर वि0ख0 ऊँचागाँव तहसील स्याना	07-06-2020	डिबाई
		08-06-2020	खानपुर

29	ग्राम खडूपुरा, वि०ख० व तहसील खुर्जा	08-06-2020	ककोड
30	मौ० होली, ब्रह्मनान, खुर्जा	08-06-2020	को० खुर्जा नगर
31	माजरा नगला कोठी, ग्राम बोरोली, वि०ख० व तहसील खुर्जा	08-06-2020	को० खुर्जा नगर
32	मौ० शिवाजी नगर, सिकन्द्राबाद	08-06-2020	को० नगर, सि०बाद
33	ग्राम गंगावास, वि०ख० पहासू तहसील शिकारपुर	09-06-2020	अहमदगढ़
34	मौ० हंसिया गंज, डिबाई	09-06-2020	डिबाई
35	ग्राम गोविन्दपुर, वि०ख० व तहसील डिबाई	09-06-2020	डिबाई
36	एस०डी०एम० कालोनी, सिकन्द्राबाद	09-06-2020	डिबाई
37	मौ० बस स्टैण्ड, वि०ख० दानपुर तहसील डिबाई	10-06-2020	सिकन्द्राबाद
38	ग्राम ऐमनपुर, वि०ख० व तहसील बुलन्दशहर	11-06-2020	डिबाई
39	ग्राम ताजपुर, वि०ख० व तहसील बुलन्दशहर	11-06-2020	को०देहात बु०शहर
40	ग्राम सुनहेरा, वि०ख० व तहसील बुलन्दशहर	11-06-2020	को०देहात बु०शहर
41	ग्राम खनौदा, वि०ख० लखावटी तहसील बुलन्दशहर	11-06-2020	को०देहात बु०शहर
42	मौ० आह्नग्रान, जहाँगीराबाद तहसील अनूपशहर	11-06-2020	औरगाबाद
43	ग्राम मुरादाबाद, वि०ख० व तहसील सिकन्द्राबाद	11-06-2020	जहाँगीराबाद
44	सराय शेख आलम, वार्ड नं० 14, खुर्जा	11-06-2020	सिकन्द्राबाद
		12-06-2020	खुर्जा नगर

मा० मुख्य सचिव, गृह (गोपन), अनुभाग-3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ के कार्यालय पत्र संख्या 1382/2020/सीएक्स-3 दिनांक 31-05-2020 के अनुसार कन्टेनमेंट जोन को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है कि:-

- शहरी क्षेत्र:- (1) जहाँ शहरी क्षेत्र में सिंगल केस है वहाँ पर 250 मीटर के रेडियस में अथवा पूरा मौहल्ला, जो भी कम हो।
 (2) एक से ज्यादा केस होने पर, कलस्टर की स्थिति में, 500 मीटर के रेडियस में कन्टेनमेंट जोन होगा तथा उसके उपरान्त 250 मीटर में बफर जोन भी होगा।
 (3) आवासीय बहुमंजिला सोसायटियों के सम्बन्ध में कन्टेनमेंट-जोन घोषित करने हेतु निम्नानुसार नीति अपनाई जायेगी-

(i) ऐसे बहुमंजिला भवनों/टॉवर वाली सोसायटी में यदि एक ही फ्लोर पर एक या अधिक सक्रिय केस हो तो ऐसे टॉवर/बहुमंजिला भवन को कन्टेनमेंट-जोन घोषित किया जाएगा।

(ii) यदि एक सोसायटी में एक से अधिक टॉवरों में सक्रिय केस पाए जाते हैं तो ऐसी सोसायटी में सम्बन्धित टॉवरों तथा सार्वजनिक प्रयोग के स्थानों यथा पार्क, जिम, तरण-ताल, बैंक्वेट-हॉल आदि को भी कन्टेनमेंट जोन में शामिल करते हुए तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाएगा जिससे कि संक्रमण का प्रसार अन्य व्यक्तियों में न होने पाए।

- (4) वाणिज्यिक/औद्योगिक/कार्यालय भवनों के परिसर में कन्टेनमेंट-जोन के सम्बन्ध में-
 (i) ऐसे स्थानों पर जहाँ सक्रिय केस/मरीज काम करता रहा हो ऐसे स्थानों को संक्रमण के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से सैनिटाइजेशन/निसंक्रमित करने हेतु 24 घंटों के लिए तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जाएगा। कोविड-19 प्रोटोकॉल के दृष्टिगत सैनिटाइजेशन/निसंक्रमित करने के सम्बन्ध में होने वाले व्यय को ऐसे भवनों के अध्यासियों द्वारा वहन किया जाएगा।
 (ii) ऐसे भवनों/परिसरों को पूर्णरूप से सैनिटाइज/निसंक्रमित करने के उपरान्त ही पुनः प्रयोग किया जाएगा।

- (5) सक्रिय केस यदि बहुमंजिला टॉवर/भवन में पाया जाए
 (i) यदि एकल-तल (Single-Floor) पर सक्रिय केस पाया जाए तो ऐसा तल सील कर दिया जाएगा।
 (ii) यदि एक से अधिक तलों पर सक्रिय केस पाए जाए तो सम्पूर्ण भवन/टॉवर को सील कर दिया जाएगा। ऐसे तलों (Floors)/भवनों को पुनः प्रयोग करने के सम्बन्ध में बिन्दु संख्या- 4(ii) के अनुसार कार्यवाही की जाएगी।

- ग्रामीण क्षेत्र:- (1) जहाँ सिंगल केस है, वहाँ पर राजस्व ग्राम के सम्बन्धित मजरे की आवादी।
 (2) यदि गाँव में एक से अधिक केस (कलस्टर) हैं तो ऐसी स्थिति में उक्त राजस्व ग्राम के सम्बन्धित मजरों की आवादी कन्टेनमेंट जोन होगा। इस गाँव के इर्द-गिर्द पड़ने वाले दूसरे राजस्व ग्रामों के मजरे बफर जोन में आयेगें।

कन्टेनमेंट जोन में निम्न प्रकार व्यवस्था रहेगी:-

- 1- कन्टेनमेंट जोन में केवल स्वास्थ्य विभाग, स्वच्छता के कार्य एवं डोर स्टेप डिलेवरी के कार्य की ही अनुमति होगी। कन्टेनमेंट जोन में कड़ा परिधीय नियंत्रण रखते हुए यह भी सुनिश्चित किया जाए कि केवल चिकित्सकीय आपातकालीन स्थिति और आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की पूर्ति को छोड़कर किसी भी व्यक्ति का अन्दर अथवा बाहर की ओर आवागमन न हो, इस सम्बन्ध में केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा राज्य सरकार के दिशा निर्देशों का ध्यान रखा जाएगा।
 2- कन्टेनमेंट जोन में सघन कान्टेक्ट ट्रेसिंग, हाउस टू हाउस सर्विलांस और यथावश्यक चिकित्सकीय गतिविधियां होगी।
 3- कन्टेनमेंट जोन का आकार यथासंभव इस प्रकार रखा जाए कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन हो।

- 4- कन्टेनमेंट-जोन के बाहर ऐसे क्षेत्र जहाँ नये केस होने की सम्भावना हो उन्हें बफर-जोन के रूप में चिह्नित किया जाएगा जिनके अन्तर्गत होने वाली गतिविधियों के सम्बन्ध में स्थानीय प्राधिकारी/जिला-प्रशासन अपने स्तर से दिशा-निर्देश निर्गत करेंगे।
- 5- कन्टेनमेंट जोन में शत-प्रतिशत घरों की स्वास्थ्य जाँच एवं सेनीटाइजेशन संबंधित अधिकारियों द्वारा किया जायेगा तथा फायर इंजन से Disinfectant का छिड़काव किया जायेगा। लोगों को फेस मॉस्क भी वितरित किये जायेंगे।
- 6- कन्टेनमेंट जोन में डॉक्टर सहित एम्बुलेंस लगायी जायेगी। यदि किसी को अस्पताल ले जाना हो तो उसे एम्बुलेन्स या A.L.S. से ले जाया जायेगा। किसी भी दशा में निजी वाहन-प्रयोग की अनुमति नहीं दी जायेगी। किसी अपरिहार्य स्थिति में उक्त सम्बन्धित क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति चिकित्सा विभाग के कन्ट्रोल रूम 7839791647 अथवा श्री बी0 के0 श्रीवास्तव, डी0एम0ओ0 (मो0नं0-9412425890) से सम्पर्क कर सकते हैं।
- 7- कन्टेनमेंट जोन में सघन पैट्रोलिंग की जायेगी तथा 112 वाहनों की विशेष ड्यूटी लगायी जायेगी। पुलिस तथा 112 की गाड़ियों से लाउडस्पीकर से घोषणा करके जनता को जागरूक किया जायेगा। यदि कोई व्यक्ति फिर भी धारा-144 द0प्र0सं0 के निर्देशों का उल्लंघन करेगा, तो उसके विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।
- 8- कन्टेनमेंट जोन में सेक्टर-स्कीम लागू की जायेगी तथा पिकेट ड्यूटी लगायी जायेगी।
- 9- कन्टेनमेंट जोन क्षेत्र में आवश्यक सेवाओं की आपूर्ति में लगे व्यक्तियों को छोड़कर शेष सभी व्यक्तियों के पूर्व में निर्गत किये गये पास निरस्त किये जाते हैं।
- 10- उक्त अवधि में निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार सम्बन्धित क्षेत्र में रहने वाले समस्त व्यक्ति अपने-अपने आवास (इंडोर) में ही रहेंगे।

उक्त आदेशों का उल्लंघन उपरोक्त अधिसूचना के प्रस्तर-15(पन्द्रह) में प्रदत्त व्यवस्था के अनुसार भारतीय दण्ड संहिता (अधिनियम संख्या-45 सन 1980) की धारा-188 के अधीन दण्डनीय कोई अपराध किया समझा जायेगा। उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

(रविन्द्र कुमार)

जिला मजिस्ट्रेट, बुलन्दशहर।

पृष्ठांकन संख्या: 276 /एस0टी0-डी0एम0/2020

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 2- प्रमुख सचिव, मा0मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 3- अपर मुख्य सचिव, गृह, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 4- प्रमुख सचिव, स्वास्थ्य, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
- 5- आयुक्त मेरठ मण्डल मेरठ।
- 6- उपाध्यक्ष, बुलन्दशहर विकास प्राधिकरण, बुलन्दशहर।
- 7- वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक, बुलन्दशहर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि आदेश का प्रभावी अनुपालन कराये जाने हेतु संबंधित पुलिस अधिकारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें तथा प्रतिबन्धित क्षेत्र में नियुक्त मजिस्ट्रेट के साथ पुलिस अधिकारियों की ड्यूटी लगाने का कष्ट करें।
- 8- मुख्य विकास अधिकारी, बुलन्दशहर।
- 9- अपर जिलाधिकारी (प्रशासन), बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि प्रतिबन्धित स्थलों पर मजिस्ट्रेट की रोस्टरवार ड्यूटी लगाते हुए तैनाती आदेश जारी करायें।
- 10- अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0)/ (न्यायिक), बुलन्दशहर।
- 11- अपर पुलिस अधीक्षक, नगर/देहात, बुलन्दशहर।
- 12- मुख्य चिकित्साधिकारी, बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ कि प्रतिबन्धित क्षेत्र एवं उसके आसपास के क्षेत्र में निर्धारित प्रोटोकाल के अनुसार सैनिटाइजेशन, स्टाफ डिप्लॉयमेंट आदि यथा वॉछित कार्यवाही सुनिश्चित करायें।
- 13- नगर मजिस्ट्रेट/सम्बन्धित उप-जिलाधिकारी, जनपद बुलन्दशहर को इस निर्देश के साथ कि आदेश की प्रति सम्बन्धित स्तर पर चस्पा कराते हुए परिसर एवं आस-पास इसकी विधिवत घोषणा कराकर सूचित करायें। साथ ही चिकित्सा एवं पुलिस विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित करें।
- 14- समस्त सेक्टर मजिस्ट्रेट, जनपद बुलन्दशहर को अनुपालनार्थ
- 15- नियंत्रक, सिविल डिफेंस, नरौरा जनपद बुलन्दशहर।
- 16- जिला सूचना अधिकारी, बुलन्दशहर।
- 17- समस्त संबंधित को अनुपालनार्थ।

जिला मजिस्ट्रेट,
बुलन्दशहर।